164

27

न्यायालय श्रमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

प्र.क. 111/निग./17/2230

Rs.301—

1. छोटेलाल त्रिपाठी पिता श्री स्व0 नारायण प्रसाद त्रिपाठी
2. यमुना प्रसाद त्रिपाठी पिता श्री स्व0 नारायण प्रसाद त्रिपाठी
3. मु0 मानवती बेवा नारायण प्रसाद त्रिपाठी

सभी निवासी ग्राम लामी करही, तह0 अमरपाटल जिला सतना (म0प्र0)

......................*आवेदक / निगराकार*

बनाम

संध्या पुत्री नारायण प्रसाद ब्रा0 पत्नी शिवनारायण द्विवेदी, उम्र–55 वर्ष, पेशा गृहणी सा0 लामी करही, तह0 अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

.... *अनावेदक / गैर निगराकार*

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के रा. प्र.क. 138/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरुद्ध प्रथम निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू.राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगराकार संक्षेप तथ्यों में निगरानी प्रस्तुत कर न्याय की याचना करते हैं:–

1– यह कि गैर निगराकार द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय अमरपाटन के समक्ष ग्राम रिमार, तह0 अमरपाटन की आ.नं. 258 के संबंध में वारिसाना नामांतरण पंजी क. 2 आदेश दिनांक 24.06.87 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जिस अपील में धारा 5 म्याद माफी का आवेदन भी प्रस्तुत की है जो धारा 5 म्याद माफी का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन द्वारा अनियमित रूप से स्वीकार कर अपील मेमो गैर निगराकार का ग्राह्य किया है जिसके संबंध में निगराकार गण संक्षेप तथ्यों में निगरानी प्रस्तुत कर न्याय की याचना करते हैं।

निगरानी के आधार निम्न हैं

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06.06.2017 विधि विधान एवं न्याय दृष्टांत के विरुद्ध होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

(164)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2230 जिला–सतना

छोटेलाल त्रिपाठी वगैरः / संध्या ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 138 / अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	